

## डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

-:: वादीगण :-

बनाम

-:: प्रतिवादीगण :-

सुरेन्द्र पंचारिया पुत्र स्व. हीरालाल

जगदीश पुत्र रामचन्द्र जी वगैरह

मु0न0 :रा0वा0स0: 214/2019 (535/2016)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू .....-..... व हाजरी श्री महावीरसिंह उदावत, अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुब्दई व श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजानिब मुब्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री इस आशय की सादिर की जाती है कि वकील वादी द्वारा प्रदत्त आदेश तकमील नहीं की गई। वकील वादी द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की तकमील नहीं करने से वादी का वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 92ए RTA अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर . ...-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 05.12.2024 को जारी

किया गया।

मोहर



सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) जैतारण  
जिला-ब्यावर(राज0)

मुब्दई	रूपये	पैसे	मुब्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	7.00		स्टाम्प वकालतनामा	2.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीशनर	0.00	
फीस कमीशनर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	19.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	27.00		मिजान:-	2.00	

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।